न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 : 156/2020

अनवान :

बलरामसिंह चोहान पुत्र रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रोशनलाल पुत्र पोकरराम जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीपसिंह पुत्र रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राकेशकुमारसिंह पुत्र रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. शकुन्तला पुत्री रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. उषा पुत्री रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. मन्जु पुत्री रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. अन्जु पुत्री रोशनलाल जाति बाल्मीकि निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– वकील श्री विनोद पूनियां : वादी
वकील श्री उम्मेद मोठसरा : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांकः 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता सं0 76/67 के मु0नं0 70 के किला नं0 24 व 25 मु0नं0 71 के किला नं0 21, मु0नं0 80 के किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 82 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 23 व 24 मु0नं0 83 के किला [illegible] 5 कुल 6.831 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रो[illegible] 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 [illegible] व 135 के खसरा सं0 [illegible]36 की 0.430 है0 खसरा सं0 738/387 की 0.760 है0 ख[illegible] सं0 739/387 की [illegible]3 है0, खसरा सं0 740/397 की 0.317 है0 कुल 2.250 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रोशनलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा पोकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया जिसमें प्रतिवादीगण सं0 4 ता 7 ने वादभूमि मे अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पक्ष में छोड़कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया जिस पर वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का सैटलमेन्ट हुआ जिसमें 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी रोशनलाल के हिस्सा में रह गई तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के हिस्सा में बहिस्सा बराबर के अनुसार आ गई इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड में कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी रोशनलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया है।

साक्ष्य वादी में वादी बलरामसिंह पुत्र रोशनलाल जाति वाल्मीकि निवासी करणपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी चक 3 केआरपी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 76/67 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 143/134, 135 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि में है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता सं0 76/67 के मु0नं0 70 के किला नं0 24 [illegible]0नं0 71 के किला नं0 21, मु0नं0 80 के किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 82 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 23 व 24 मु0नं0 83 के किला नं0 [illegible]5 कुल 6.831 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रोशनलाल के नाम [illegible]/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 143/134 व 135 के खसरा सं0 386 की 0.430 है0 खसरा सं0 738/387 की 0.760 है0 खसरा सं0 739/387 की 0.743 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खसरा सं0 740/397 की 0.317 है0 कुल 2.250 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रोशनलाल के नाम से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता सं0 76/67 के मु0नं0 70 के किला नं0 24 व 25 मु0नं0 71 के किला नं0 21, मु0नं0 80 के किला नं0 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 82 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 23 व 24 मु0नं0 83 के किला नं0 4, 5 कुल 6.831 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी में प्रतिवादी रोशनलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 143/134 व 135 के खसरा सं0 386 की 0.430 है0 खसरा सं0 738/387 की 0.760 है0 खसरा सं0 739/387 की 0.743 है0, खसरा सं0 740/397 की 0.317 है0 कुल 2.250 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रोशनलाल के नाम से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें प्रतिवादी सं0 1 रोशनलाल को 1/4 हिस्सा एवं वादी बलरामसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीपसिंह, प्रतिवादी संख्या 3 राकेशकुमार को संयुक्त 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादिया सं0 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने पर कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.03.03 10:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़